कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–2349/ FP/UK/ROAD/18161/2016 (दे0दून) :देहरादून:दिनांकः 27 फरवरी, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं0–03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 हे0 (पूर्व में प्रस्तावित 2.02 हे0 के बदले) वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./09/82/2016/एफ.सी./1441 दिनांक 18–11–2016.
(ऑन लाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/Other/18161/2016)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 2429/12–1 दिनांक 14–02–2018 **(संलग्नक–1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई भारत सरकार द्वारा वांछित आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

2– **बिन्दु संख्या–1 व 2** के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई में जाकर एन0आई0सी0 के माध्यम से संशोधित वांछित सूचना ऑन–लाईन अपलोड करा दी गई है।

3. **बिन्दु संख्या–3** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित स्कीम **(संलग्नक–2)** एवं स्थल उपयुक्तता का प्रमाण–पत्र **(संलग्नक–3)** मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

4. **बिन्दु संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की देखरेख में strip plantation किये जाने की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न है। । **(संलग्नक–4)**

5. **बिन्दु संख्या–5** के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग तथा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा संशोधित 1.22 हे0 क्षेत्र में स्थित वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया गया है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले कुल वृक्षों की संख्या 257 है, जिनकी Enumeration List संलग्न है। **(संलग्नक–5)** इसके अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली 1.22 हे0 वन भूमि के ईको क्लास एवं घनत्व के अनुसार निर्धारित एन0पी0वी0 की दर ₹ 9,39,000.00 प्रति हे0 से धनराशि ₹ 11,45,580.00 (₹ इग्यारह लाख पैतालिस हजार पॉच सौ अस्सी) पूर्व में ही चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति मय संलग्नक प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयॉकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :–2349 / FP/UK/Other/18161/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, चकराता।
3. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बाईपास रोड, बीबीवाला, ऋषिकेश।

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या- 1625/12ए-214(2014-17)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 19 सितम्बर, 2016

विषय :- देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश में परिवहन विभाग की आटोमेटेड टेस्टिंग लेन हेतु वन विभाग की 2.02 है0 वन भूमि के एवज में 4.04 सिविल/बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

उप जिलाधिकारी, ऋषिकेश
जनपद-देहरादून।

उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण पर आपके पत्र संख्या-281/ एस0टी0-2016 दिनांक 17 अगस्त, 2016 तथा पत्र संख्या-296/एस0टी0-2016 दिनांक 31.08.2016 के द्वारा ग्राम गड़ूल, परगना-परवादून, तहसील-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के खाता संख्या 401 के खसरा नं0 86घ क्षेत्रफल 4.02 है0, भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

इसी क्रम में तहसीलदार ऋषिकेश की आख्या दिनांक 12.09.2016 में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम गड़ूल मजरा इठारना का अभिलेख बन्दोबस्त क्रियाओं के अंतर्गत होने के कारण उक्त भूमि की खतौनी अभी तक नहीं बन पायी है तथा कम्प्यूटराईज्ड खतौनी उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार ऋषिकेश द्वारा पुनरीक्षित खतौनी अर्थात जिल्द बन्दोबस्त की छायाप्रति प्रेषित की गयी है, जिसमें ग्राम गड़ूल के खाता खतौनी संख्या 401 के खसरा नं0 86घ/4.02 है0, पहाड़ दर्ज है।

यह भी उल्लेखनीय है कि परिवहन विभाग द्वारा वन विभाग की 2.02 है0 भूमि पर आटोमेटेड टेस्टिंग लेन का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके एवज में दोगुनी भूमि 4.04 है0 बंजर/सिविल भूमि वन विभाग को नियमानुसार दी जानी है। आपके (उपजिलाधिकारी ऋषिकेश) द्वारा संभवतया त्रुटिवश 4.04 के स्थान पर 4.02 है0 भूमि को प्रस्तावित किया गया है। तहसील-ऋषिकेश से प्राप्त आख्या में सुधार करते हुये वन विभाग के पक्ष में 4.02 के स्थान पर 4.04 है0 भूमि का हस्तान्तरण किया जाता है।

अतः आपके उपरोक्त पत्र संख्या-281/ एस0टी0-2016 दिनांक 17 अगस्त, 2016 तथा पत्र संख्या-296/एस0टी0-2016 दिनांक 31.08.2016 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010,राजस्व अनुभाग-2, देहरादून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत **ग्राम गड़ूल, परगना-परवादून, तहसील-ऋषिकेश, जनपद-देहरादून के खाता संख्या 401 के खसरा नं0 86घ क्षेत्रफल 4.04 है0,** भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(रविनाथ रमन)
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि -

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश को प्रश्नगत प्रकरण पर उनके पत्रांक-646/आटो0टे0लेन/2016 दिनांक 06.06.2016 के क्रम में सूचनार्थ।

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 689 / FP/UK/ROAD/18161/2016 (दे0दून) :देहरादून:दिनांक: 11 सितम्बर, 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र) 25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं0–03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 हे0 (पूर्व में प्रस्तावित 2.02 हे0 के बदले) वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी / यू.सी.पी. / 09 / 82 / 2016 / एफ.सी. / 1321 दिनांक 21–11–2016.
(ऑन लाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/Other/18161/2016)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 01 / 12–1 दिनांक 02–07–2018 **(संलग्नक–1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

2– शर्त संख्या–1 के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ग्राम गडूल मजरा इठारना की 2.44 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 1056 / 12–1 दिनांक 28–11–2016 **(संलग्नक–1ए)** के द्वारा आगणित धनराशि ₹ 5,62,000.00 (₹ पाँच लाख बासठ हजार) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम गडूल मजरा इठारना की सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कर दिया गया है। म्यूटेशन की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–2)**

3. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 11,45,580.00 (₹ इग्यारह लाख पैतालिस हजार पाँच सौ अस्सी) मात्र कैम्पा कोष में चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।

4. शर्त संख्या–3 के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य दर में यदि बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी बचनबद्ध है। **(संलग्नक–3)**

5. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां ₹ 18,57,580.00 (₹ अट्ठारह लाख सत्तावन हजार पाँच सौ अस्सी) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal पर चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–4)**

–क्रमशः–

6. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित धनराशि ₹ 1,50,000.00 (₹ एक लाख पचास हजार) मात्र कैम्पा कोष में चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। । **(संलग्नक–5)**

7. शर्त संख–6 के अनुपालन में संशोधित डिजीटल मानचित्र की हार्ड कापी एवं KML फॉइल की सी.डी संलग्न है। **(संलग्नक–6)**

8. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रस्तावित 1.22 हे0 वन भूमि में विद्यमान वृक्षों (257 वृक्ष) की सूची संलग्न है। । **(संलग्नक–7)**

9. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा 9,39,000.00 प्रति हे0 की दर से संलग्नक–1ए के अनुसार निर्धारित एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 11,45,580.00 (₹ इग्यारह लाख पैतालिस हजार पाँच सौ अस्सी) का आगणन संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–यथोपरि

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 689 / **FP/UK/Other/18161/2016 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, चकराता।
3. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बाईपास रोड, बीबीवाला, ऋषिकेश।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

9/c

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 2429 /12-1 देहरादून, दिनांक 14 फरवरी, 2019

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण/भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी० सं० 4414
पत्रावली 14 (दे.)
दिनांक 20/2/19

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून

विषयः– **जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं0–03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 है0 (पूर्व में प्रस्तावित 2.02 है0 के बदले) वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के पत्रांक 91/सा0प्रशा0/ऑ0मे0टे0ले0/2019 दिनांक 30.01.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित पत्र जो इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या 08बी/यूसीपी/09/82/2016 एफसी/1441 दिनांक 19.10.2018 द्वारा राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण को 05 बिन्दुओं की शर्तों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसका परिपालन कर सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है–

01. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दु सं0 01 व 02 से सम्बन्धित कार्यवाही भारत सरकार वन मंत्रालय, नई दिल्ली में जाकर एनआईसी के माध्यम से संशोधित वांछित सूचना अपलोड करा दी गयी है।

02. बिन्दु सं0 –03 की सूचना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि "शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। **प्रमाण पत्र संलग्नक–1**

03. बिन्दु सं0– 04 की सूचना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है कि "निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पश्चात जहां–जहां संभव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षोरोपण किया जायेगा।" **प्रमाण पत्र संलग्नक–2**

04. बिन्दु सं0–05 में शर्त संख्या–07 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण के समय की गयी गणना में परियोजना क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों कुल संख्या 257 हैं। **प्रमाण पत्र संलग्नक –03** तथा शर्त सं0–08 के सम्बन्ध में परियोजना क्षेत्र में इको क्लास व घनत्व के लिए निर्धारित एन0पी0वी0 की दर रू0 939000.00 प्रति है0 की दर से कुल धनराशि रू0 1145580.00 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा कोष में पूर्व में जमा किया जा चुका है। **प्रमाण पत्र संलग्नक–04**

अतः अनुरोध है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा पुनः 05 बिन्दुओं पर मांगी गयी की अनुपालन आख्या उपरोक्तानुसार अपने स्तर से भारत सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रम में सूचनार्थ प्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

प्रभारी. देहरादून। आ0 का0
नियमानुसार करें।
प्र0 व0 सं0
18/2/19

संलग्नक -2

परियोजना का नाम– उप सम्भागीय परिवहन ऋषिकेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन के लिए प्रस्तावति 1.22 है0 आरक्षित वन भूमि के एवज में 2.44 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण।

ऋषिकेश रेंज देहरादून वन प्रभाग वर्ष–2019–20

क0सं0	कार्य का नाम	नपत/ संख्या	मात्रा	दर	धनराशि (रू0में)
1	2	3	4	5	
		प्रथम वर्ष			
1	स्थल की सफाई एवं सर्वेक्षण	100.00x100.00	10000.00 sqm	L S	1100.00
2	रोपण क्षेत्र की तार–बाड़ हेतु आर0सी0सी0 खम्भे (6 फुट लम्बें) क्रय करना (1.00 है0 में 180 रमी0 मानक मानते हुये)	-	60 no.	300	18000.00
3	उक्त खम्भों का ढुलान कार्य लदाई–उतराई सहित (10 से 15 किमी0की दूरी से)		60 no.	20	1200.00
4	उक्त खम्भों को गाढ़ने हेतु 1:6:12 सी0मसाले से ग्रॉट करना	0.60x0.30x0.30	60 no.	22.7	1362.00
5	तार–बाड़ हेतु 3 लड़ कांटेदार तार खींचना	60.00x3.00	180 mtr.	2.96	532.80
6	उक्त हेतु कांटेदार तार की आपूर्ति कीमत सहित	3x180.00x0.125	67.50 kg	80.00	5400.00
7	स्टेपल आदि क्रय करना	-	5.00 kg	100.00	500.00
8	तार–बाड़ के चारों ओर 1.00 मी0 चौ0 में झाड़ी कटान कार्य	-	180.00 mtr.	1.48	266.40
9	वृक्षारोपण हेतु सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य	-	1.00 Hac.	101.00	101.00
10	रोपण से पूर्व सघन लैन्टाना झाड़ी का कटान कार्य (लैन्टाना झाड़ी का जड़ खुदान कर कार्य स्थल से दूर फेंकना)		1.00 Hac.	3430.00	3430.00
11	चैक प्लाटों का सृजन करना (कोई चैक प्लॉट 2 है0 से अधिक नंही होगा)		1.00 Hac.	389	389.00
12	रोपण हेतु गढ्ढों की निशानदेही करना	-	2000 no.	19/- hundred	380.00
13	रोपण हेतु गढ्ढा खुदान कार्य	0.45x0.45x0.45	2000 no.	7.94	15880.00
14	गढ्ढों में मिलाने हेतु खाद का मूल्य		2000 no.	34.50/- hundred	690.00
15	गढ्ढों का भरान कार्य	0.45x0.45x0.45 m	2000 no.	1.93	3860.00
16	उक्त मिट्टी का श्रमिकों द्वारा स्थानीय ढुलान दूरी 150 मी0 तक	72.90x15	1093.50 qtl.	53/-qtl./-km	8693.33
17	वृक्षारोपण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	-	1.00 Hac.	7400.00	7400.00
18	औजारों की मरम्मत, चूना, रस्सी आदि पर व्यय		1.00 Hac.	1100.00	1100.00
19	जल संरक्षण एवं लघु अभियन्त्रिक कार्य			21000.00	21000.00
				Total	**91284.53**
				G.Total	**91284.53**
		द्वितीय वर्ष			
1	रोपण हेतु पौधों की आपूर्ति करना (10 प्रतिशत अतिरिक्त)	-	2200 no.	7.15	15730.00
2	उक्त पौधों का ट्रैक्टर द्वारा ढुलान कार्य दूरी 20 किमी0 तक	-	2200 no.	163/- hundred	3586.00
3	उक्त पौधों का लोडिंग अन लोडिंग कार्य	-	2200 no.	60/- hundred	1320.00
4	उक्त पौधों का श्रमिकों द्वारा स्थानीय ढुलान कार्य दूरी 250 मी0 तक	-	2200 no.	49.48/- hundred/- kr	882.14
5	पौधों का रोपण कार्य (थावला बन्दी सहित)	-	2000 no.	254.56/- hundred	5091.20
6	वृक्षारोपण के पश्चात लैन्टाना युक्त झाड़ी आदि कटान कार्य	-	1.00 Hac.	1728.00	1728.00
7	वृक्षारोपण क्षेत्र में साल भर रोपित पौधों की देख–रेख का कार्य करना (कम से कम 10 हैक्ट0 वृक्षा0 क्षेत्र में 1 श्रमिक)	-	9 months	630.00	5670.00
8	औजारों की मरम्मत, चूना, रस्सी आदि पर व्यय	-	1.00 Hac.	1100.00	1100.00
9	पौधों की दो बार निराई–गुड़ाई व थावला बन्दी कार्य	-	2000 no.	6640.00	6640.00
10	रोपण के पश्चात अग्नि सुरक्षा कार्य	-	1.00 Hac.	104.00	104.00
11	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य (अधिकतम रू0 3600.00 तक)	-	1.00 Hac.	725.00	725.00
12	अन्य व्यय	-	1.00 Hac.	444.00	444.00
13	अन्य आकस्मिक व्यय कन्टेजेन्सी	-	-	L. S	2000.00
				Total	45020.34
				G.Total	**45020.34**

तृतीय वर्ष

1	पैधारोपण (बीटिंगअप) 20 प्रतिशत	400 पैधा	400 पैधा	2.55	1020.00
2	उक्त हेतु पौधों की आपूर्ति कीमत सहित	400 पैधा	400 पैधा	7.15	2860.00
3	वृक्षारोपण क्षेत्र में साल भर रोपित पौधों की देख–रेख का कार्य करना (कम से कम 10 हैक्ट0 वृक्षा0 क्षेत्र में 1 श्रमिक)	-	12 months	630.00	7560.00
4	वृक्षारोपण क्षेत्र में लैन्टाना झाड़ी आदि कटान कार्य	-	1.00 Hac.	864.00	864.00
5	वृक्षारोपण क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा कार्य		1.00 Hac.	104.00	104.00
6	अन्य व्यय (वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा, जागरूकता हेतु प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना)		1.00 Hac.	444.00	444.00
				Total	12852.00
				G.Total	**12852.00**

चतुर्थ वर्ष

1	पौधों की सिंचाई एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	12852.00
2	मजदूरी दरी में प्रस्तावित वृद्वि 10 प्रतिशत				1285.20
				Total	**14137.20**

पंचम वर्ष

1	पौधों की सिंचाई एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	14137.00
2	मजदूरी दरी में प्रस्तावित वृद्वि 10 प्रतिशत				1413.70
				Total	**15550.70**

छटा वर्ष

1	पौधों की वर्ष भर सुरक्षा एवं अनुरक्षण आदि पर व्यय	-	12 months	630.00	7560.00
2	पौधों की अग्नि से सुरक्षा	-	1.00 Hac.	104.00	104.00
				Total	7664.00
3	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्वि 10 प्रतिशत				766.40
				Total	**8430.40**

सातवां वर्ष

1	पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार		-	-	8430.00
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्वि 10 प्रतिशत				843.00
				Total	**9273.00**

आठवां वर्ष

1	पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार		-	-	9273.00
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्वि 10 प्रतिशत				927.30
				Total	**10200.30**

नवां वर्ष

1	पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार		-	-	10200.00
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्वि 10 प्रतिशत				1020.00
				Total	**11220.00**

दसवां वर्ष

1	पौधों की आग से सुरक्षा एवं अनुरक्षण व्यय उपरोक्तानुसार	-	-	-	11220.00
2	मजदूरी दरों में प्रस्तावित वृद्वि 10 प्रतिशत				1122.00
				Total	**12342.00**
				Say	**230310.00**

परियोजना क्षेत्र के कुल 1.22है0 के सापेक्ष 2.44 है0 वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर आने वाला कुल अनुमानित व्यय–

230310x2.44=561956.40

(पॉच लाख बासठ हजार रूपये मात्र)	**562000.00**

RPS Negi
वन क्षेत्राधिकारी
देहरादून वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

संलग्नक-3

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बीबीवाला बाईपास मार्ग ऋषिकेश जनपद देहरादून में परिवहन विभाग की प्रस्तावित ऑटोमेटिड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल 2.44 है0 ग्राम गडोल, ईठारना खसरा नम्बर 2336 उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
ऋषिकेश रेंज
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

(संलग्नक-3)

प्रमाण–पत्र (शर्त सं0–7)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं0–03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 हे0 वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन संबंधित परियोजना में सैद्धातिंक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त सं0–07 के अनुपालन में 1.22 वन भूमि में प्रजातिवार यूकेलिप्ट्स–252, सीशम–03 तथा सेमल–02 कुल 257 वृक्ष विद्यमान है।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

प्रमाण–पत्र (शर्त सं0–7)

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश कक्ष सं0–03 में परिवहन विभाग की ऑटोमेटेड टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु 1.22 हे0 वन भूमि का परिवहन विभाग को प्रत्यावर्तन संबंधित परियोजना में सैद्धातिंक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त सं0–07 के अनुपालन में 1.22 वन भूमि में प्रजातिवार यूकेलिप्ट्स–252, सीशम–03 तथा सेमल–02 कुल 257 वृक्ष विद्यमान है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

सेलग्नक-4

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र

परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में वृक्षारोपण किये जाने हेतु वचन बद्ध है।

ह0......................

प्रयोक्ता अभिकरण / एजेन्सी

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी

ऋषिकेश।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड)

संलग्नक-3

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग अनुसार यथासमय जमा कर दिया जायेगा।

ह0........ 27/6/18

प्रयोक्ता एजेन्सी

सहा0संभागीय परिवहन अधिकारी

ऋषिकेश।

संलग्नक-4

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 29-03-2018

Agency Name.	ARTO RISHIKESH
Application No.	19918161525
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/82/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	ARTO Office Haridwar by pass road B.D wala RishikeDehradun
Amount(in Rs)	1857580/-

Amount in Words :Eighteen Lakh Fifty-Seven Thousand Five Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508919918161525 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 29-03-2018

Agency Name.	ARTO RISHIKESH
Application No.	19918161525
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/82/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	ARTO Office Haridwar by pass road B.D wala Rishike Dehradun
Amount(in Rs)	1857580/-

Amount in Words :Eighteen Lakh Fifty-Seven Thousand Five Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1508919918161525 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

16.5.18

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड)

संलग्नक-5

Untitled Page

forestsclearance.nic.in/UserAccount/Payment_history.a

VAHAN 4.0 | VAHAN 4.0 (Beta) | National Register | Home | Parivahan Sewa

Online Submission & Monitoring of Environmental, Forest and Wildlife Clearances -A Single Window Clearance System

11 May 2018 17:02:18 Logout

User Name: [Janveer]
State: [Uttarakhand]
Role : [Applicant]

My Account | My Proposals Environment Clearance | My Proposals Forest Clearance | My Proposals Wildlife Clearance | Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/Others /18161/2016 Establishment of Automative testing lane and certification center	OTHERS18161 2016525	19918161525	21 Nov 2016	CA: 562000/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1145580/- , Plantation on Vacant Places : 150000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1857580/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Mar 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Mar 2018 Transaction Date : 31 Mar 2018	Demand Letter Generated Challan

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at(011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nic(dot)in.)

5:02 PM
11.05.2018

16.5.18
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड)

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : ग्राम का नाम / परगना : गडूल(परवादून) () तहसील : ऋषिकेश जनपद : देहरादून फसली वर्ष :1424-1429 भाग : 1

श्रेणी : 6-5 / जो अन्य कारणो से अकृषिक हो

खाता खतौनी क्रम संख्या -----1-----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान ------------------ 2	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ------- 3 -------	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ------- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ------ 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान --------- 6 ---------	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका साराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ---------------------------7-12-------------------	टिप्पणी ----------------13--------------------
00401	पहाड / . / नि॰ ग्राम		86घ	5.0620	0.00	जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून के पत्र स0 1625/12ए-214(2014-17)/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 19 सितम्बर 2016 व वर्तमान पत्रांक स0 745/सा0प्र0/आटोमेटिंग टेस्टिंग लेन/2018 दिनांक 18.07.2018 पर पृष्ठांकन आदेश ना0तह0 दिनांक 21.07.2018 के अनुपालन में परवाना ग्राम गडूल के खाता खतौनी सं0 401 के खसरा न0 86घ रक्बा 4 04हे0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्तान्तरित/आवंटित किया जाता है। परवान से	23/07/2018 तहसीलदार ऋषिकेश सत्यापित 20/08/2018 तहसीलदार ऋषिकेश
			202ख	8.0000			
			214घ	7.0000			
			217ङ	12.0000			
			337घ	4.1230			
			909ङ	1.8820			
			1024ङ	0.0580			
			1475	0.0100			
			1631ग	0.0400			
			1642	0.0750			
			1644ख	0.7000			
			1730ख	0.0240			
			1747	0.0700			
			1748	0.0500			
			1749	0.2300			

कार्यालय तहसीलदार ऋषिकेश जनपद-देहरादून

उद्धरण खतौनी

खाता खतौनी क्रम संख्या -----1-----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान ----------------- 2	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ------- 3 -------	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ------- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ------ 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान --------- 6 ---------	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद ---------------------------7-12-----------------	टिप्पणी ---------------13------------------
			1754ग	0.4990			
			1755क	12.1690			
			1756	0.0700			
			1757ग	0.4500			
			1758	0.3500			
			1760ख	0.6880			
			1761	1.0000			
			1762	0.0050			
			1763	0.5000			
			1782	0.1700			
			1784	0.0500			
			1864ख	7.1180			
			2099	0.0300			
			2100	0.0100			
			2101	0.2000			
			2111	0.0100			
			2112	0.2500			
			2113	0.2500			
			2114ठ	0.1620			

25/07/2018

तहसीलदार ऋषिकेश

कार्यालय तहसीलदार ऋषिकेश जनपद-देहरादून

उद्धरण खतौनी

खाता खतौनी क्रम संख्या -----1-----	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान ----------------- 2	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष ------- 3 -------	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या ------- 4 -----	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) ------ 5 ----	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान --------- 6 ---------	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद ---------------------------7-12------------------	टिप्पणी ---------------13------------------
			2711क	0.1000			
			2743	0.1500			
			2746क	0.0400			
			2747	0.0300			
			2755	6.1000			
			2758	0.2000			
			2759	1.9000			
			2765क	1.6000			
			2772क	0.8350			
			2773	0.2000			
			2911	16.0000			
			45	90.4600	रूपये 0.00		

कुल गाटे- चार पाँच कुल क्षेत्रफल- नौ शून्य दशमलव चार छः शून्य शून्य कुल भू-राजस्व - रूपये शून्य दशमलव शून्य शून्य

Data Digitally Signed by : PRAMOD KUMAR

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरिफिकेशन Uttarakhand Bhulekh Website (bhulekh.uk.gov.in/Bhulekh) पर जाकर किया जा सकता है

सक्षम अधिकारी : TEHSILDAR

तहसील : ऋषिकेश जनपद : देहरादून

दिनांक एवं समय : 25-07-2018 11:13:00

कार्यालय तहसीलदार ऋषिकेश जनपद देहरादून

CA-Map संलग्नक-6

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद देहरादून में परिवहन विभाग के आटोमेंटिड़ टेंस्टिग लेन की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल गडूर ईठारना सिविल सोयम (क्षे0–2.44है0)

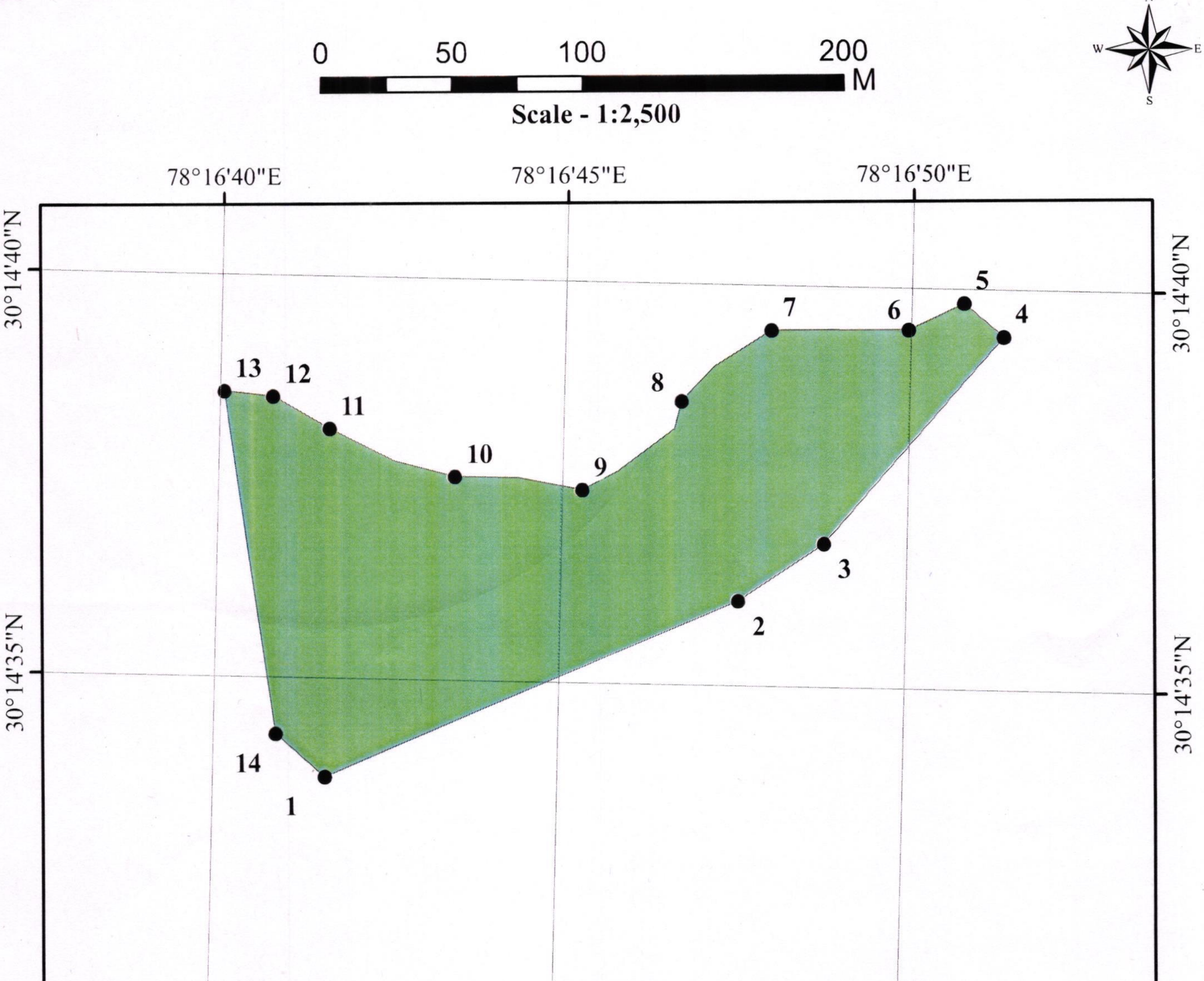

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	78º 16' 41.641" E	30º 14' 33.783" N
2	78º 16' 47.572" E	30º 14' 36.068" N
3	78º 16' 48.801" E	30º 14' 36.805" N
4	78º 16' 51.348" E	30º 14' 39.422" N
5	78º 16' 50.766" E	30º 14' 39.830" N
6	78º 16' 49.960" E	30º 14' 39.483" N
7	78º 16' 47.974" E	30º 14' 39.448" N
8	78º 16' 46.692" E	30º 14' 38.541" N
9	78º 16' 45.287" E	30º 14' 37.411" N
10	78º 16' 43.436" E	30º 14' 37.543" N
11	78º 16' 41.604" E	30º 14' 38.108" N
12	78º 16' 40.775" E	30º 14' 38.491" N
13	78º 16' 40.063" E	30º 14' 38.549" N
14	78º 16' 40.913" E	30º 14' 34.302" N

Legend

● GPS Coordinates

Proposed CA Land

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड)

78°16'40"E 78°16'45"E 78°16'50"E

संलग्नक -6 CA Map

डिजिटल मानचित्रः–जनपद देहरादून में परिवहन विभाग के आटोमेंटिड़ टेंस्टिग लेन की स्थापना हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल गडूर ईठारना सिविल सोयम (क्षे0–2.44है0)

0 0.5 1 1.5 2 Km SOI Toposheet No- 53J/08

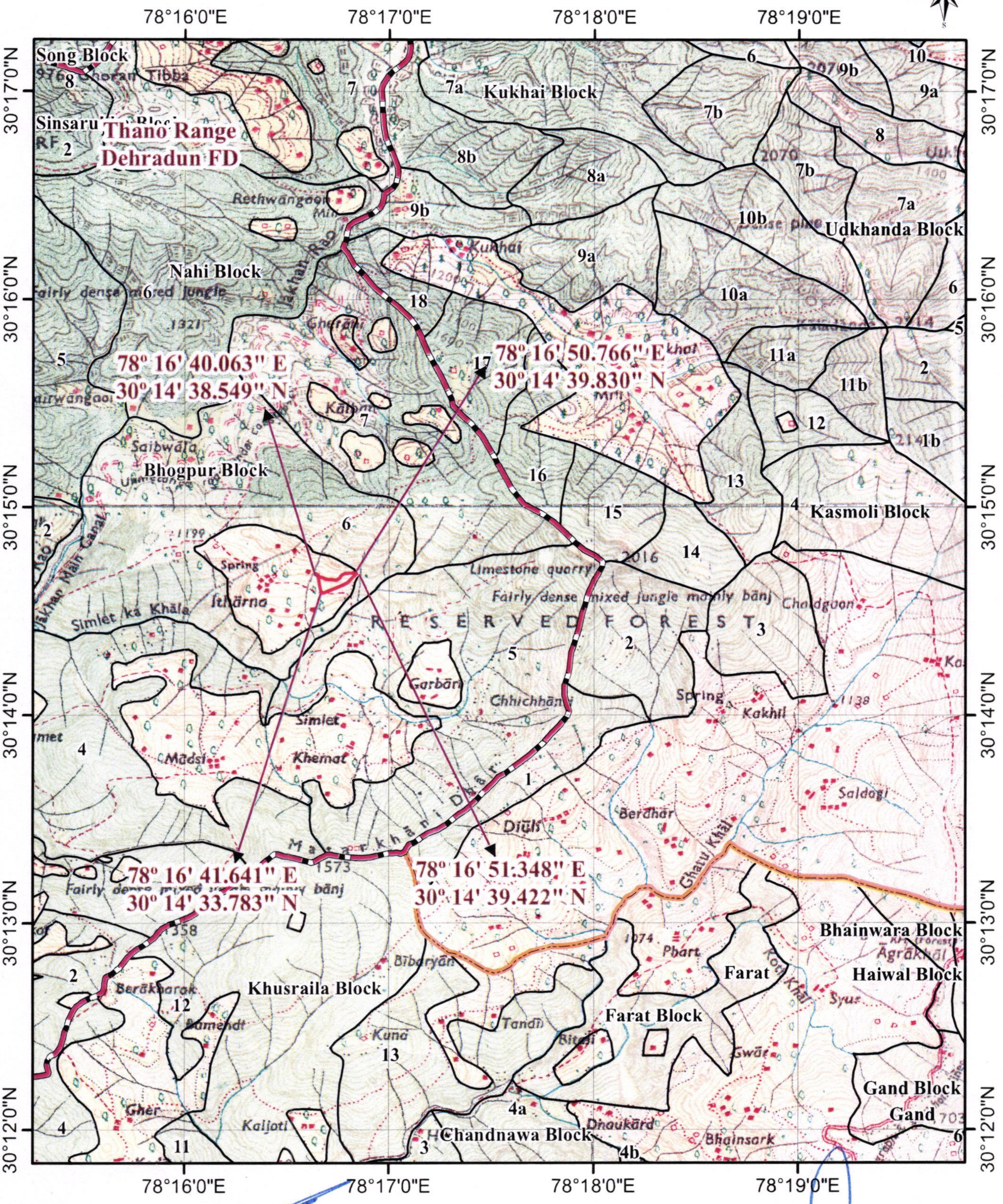

Legend

- Proposed CA Land
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
ऋषिकेश, (उत्तराखण्ड)

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून